आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
6.1.15	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **विविध अपील (पर्चा) सं0 13/2000** **कलावती देवी एवं अन्य** **बनाम** **चन्द्रिका राय एवं अन्य** **आदेश** यह अपील कलावती देवी, पति–कपिल देव सिंह, अजय कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह, दोनों पिता–कपिल देव सिंह, सा0–वनकेरवा, पो0–परसौना, थाना–परसा, जिला–सारण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा के द्वारा गृहस्थल वाद सं0 11/97–98 में पारित आदेश के विरूद्व दाखिल किया गया है। उक्त अपील वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत भूमि पर वासगीत पर्चा संबंधित प्रस्ताव अंचलाधिकारी, परसा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रेषित किया गया था, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के द्वारा अस्वीकृत कर देने के कारण यह अपील आवेदन अपीलार्थियों के द्वारा दायर किया गया था। संदर्भित अपील सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर किया गया। अपर समाहर्त्ता के न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बाहर होने के कारण उक्त अपील पर कोई आदेश पारित नही करके अपर समाहर्त्ता, सारण के द्वारा अपीलार्थी को समक्ष न्यायालय में अपील दायर करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में अपीलार्थियों के द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अपील वाद के प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का यह कहना है कि अपीलार्थी भूमिहीन नहीं है और इस संबंध में उनके द्वारा कतिपय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के पास पक्का मकान, बोलेरो गाड़ी एवं काफी सम्पत्ति है और वे किसी भी तरह से वासगीत पर्चा लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि जो खतियान में गैर मजरूआ मालिक गढ़हा के नाम से दर्ज है। कुल रकवा पॉच कट्ठा 18 धुर है, में से गड्ढे को भराकर तीन कट्ठा बाइ धुर में	

विद्यालय का भवन बना दिया गया है। अवशेष भूमि का विद्यालय के मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय के उपर्युक्त भूमि का अपीलार्थी के द्वारा वासगीत पर्चा दिए जाने की मॉग की जा रही है। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी बतलाया गया कि प्रतिवादी भूमिहीन होने के कारण वासगीत पर्चा के लिए दावा करते है। वे अपना दावा (claim) सार्वजनिक हित में अर्थात् विद्यालय के मैदान के रूप में उक्त भूमि को उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन हेतु छोड़ सकते हैं।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि उक्त विषय से संबंधित एक अन्य ग्रामीण श्री बलीन्द्र सिंह, पिता–स्व0 रामदेनी सिंह, सा0–वनकेरवा, पो0–परसौना, थाना–परसा, जिला–सारण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0 15487/12 दायर किया गया, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 12.3.14 को पारित आदेश पारित किया गया कि उक्त सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधि तमामले के निष्पादन के लिए समाहर्त्ता, सारण स्वयं जॉच करें या किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी से जॉच करावें। श्री बलीन्द्र सिंह के द्वारा पारित न्यायादेश की सच्ची प्रतिलिपि के साथ आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस न्यायालय के ज्ञापांक 832 दिनांक 15.7.14 के द्वारा अंचलाधिकारी, परसा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। अंचलाधिकारी, परसा के द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई प्रारंभ की गयी, जिसमें विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी को बताया गया कि समाहर्त्ता, सारण के न्यायालय में उनके द्वारा दाखिल पर्चा अपील सं0 13/2000 विचाराधीन है, जिसके निष्पादन के पश्चात् ही किसी प्रकार की कार्रवाई विधि–सम्मत् होगी। इस संबंध में अंचलाधिकारी, परसा के पत्रांक 625 दिनांक 23.12.14 के द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया कि उक्त पर्चा अपील सं0 13/2000 में सुनवाई करके यथाशीघ्र यथोचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उनके वरीय अधिवक्ता श्री रविन्द्रनाथ सिंह को बहस करना था, लेकिन अचानक उनके किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की वजह से श्मशान घाट चले गए, इसलिए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया

गया। चूँकि उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0 15487/2012 में एम0जे0सी0 दायर कर दिया गया है, इसलिए समाहर्त्ता, सारण के द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया एवं उक्त मामले की सुनवाई दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में की गयी।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अंचलाधिकारी, परसा के द्वारा वासगीत पर्चा से संबंधित प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा को भेजा जाना अपने आप में गलत है। उन्हें अपने स्तर से ही इसका निष्पादन कर देना चाहिए था। पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा के द्वारा इसमें किसी प्रकार का आदेश पारित करना अपने आप में गलत था। उन्हें किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। चूँकि उक्त भूमि का सार्वजनिक हित में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इस पर किसी भी व्यक्ति को वासगीत पर्चा निर्गत करना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थियों के द्वारा दिए गए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 12 मु0 /न्या0/दिनांक 14.1.2015

प्रतिलिपि — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — अंचल अधिकारी, परसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी NIC, सारण को उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

14/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

14/1/15